



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5316

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8985 वर्ष 2025

सचिन उर्फ छोटू

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मोहम्मद वदूद, मोहम्मद समीउज्जमान खान, पंकज भारती

प्रतिवादी के अधिवक्ता: चंद्र शेखर मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

यह दूसरी जमानत याचिका है।

इस जमानत याचिका के माध्यम से आवेदक ने पुलिस स्टेशन सदर बाजार, जिला सहारनपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 193/2024 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की धारा 3/25/27 के तहत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है। आवेदक 11.04.2024 से जेल में है।

आवेदक की पहली जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा 19.09.2024 को खारिज कर दी गई थी।

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इस स्तर पर जमानत के लिए कोई नया आधार नहीं बनता है।

मामले की खूबियों में जाए बिना, जमानत याचिका खारिज की जाती है।

चूंकि ट्रायल न्यायालय को पहले ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के उद्देश्य को पूरा करने और मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया जा चुका है, अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 32628/2024 के आदेश दिनांक 19.09.2024 के अनुसार, इसलिए आगे कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र शेखर मिश्रा उपस्थित हैं।

08 जनवरी 2026

प्रवीण

(न्यायमूर्ति अजय भनोट)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।